Rapid Fire करेंट अफेयर्स (09 October)

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-october-09

1. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को मिला पहला ग्रीन कम्बीनेशन

- **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** के तहत दाखिल प्रथम **ग्रीन चैनल कम्बीनेशन** प्राप्त किया।
- यह **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग नियमन, 2011** (कम्बीनेशन नियमन) 3 अक्तूबर, 2019 के नियम-5 और 5-ए (कम्बीनेशन से संबंधित कारोबारी लेन-देन से जुड़ी प्रक्रिया) में उल्लिखित है।
    - यह अधिसूचना एस्सेल म्यूचुअल फंड और (एस्सेल MF) के अधिग्रहण से संबंधित है।
    - यह म्यूचुअल फंड **सेबी (म्यूचुअल फंड) नियमन, 1996 (MF नियमन)** के तहत पंजीकृत है, जो सचिन बंसल ग्रुप नामक कंपनी का हिस्सा है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

(Competition Commission of India-CCI)

- किसी भी अर्थव्यवस्था में 'बेहतर प्रतिस्पर्द्धा' का अर्थ है- आम आदमी तक किसी भी गुणात्मक वस्तु या सेवा की बेहतर कीमत पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- 'प्रतिस्पर्द्धा' के इसी वृहद् अर्थ को आत्मसात करते हुए वर्ष 2002 में संसद द्वारा 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' (The Competition Act, 2002) पारित किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 2003 को भारतीय स्पर्द्धा आयोग का गठन किया गया।
- 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002' को वर्ष 2007 में संशोधित कर नए नियमों के साथ अपडेट किया गया।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं, सभी सदस्यों को सरकार द्वारा 'नियुक्त' (appoint) किया जाता है।

इस आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
- उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
- भारतीय बाज़ार में 'व्यापार की स्वतंत्रता' को सुनिश्चित करना।
- किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।

- जन जागरूकता का प्रसार करना।
- प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

---

2. विश्व पर्यावास दिवस (World Habitat Day)

प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह के प्रथम सोमवार को **विश्व पर्यावास दिवस** मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार नैरोबी (केन्या) में इसका आयोजन किया था।

> इस दिवस के तहत टिकाऊ शहरी दुनिया के लिये संयुक्त दृष्टिकोण को रेखांकित करना, संभावनाओं को बढ़ावा देना, भेदभाव और असमानताओं को कम करना तथा अमीर-गरीब दोनों के लिये आवास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रयास किये जाते हैं।

- इस वर्ष **विश्व पर्यावास दिवस की थीम है 'फ्रंटियर टेक्नोलॉजी: कचरे को धन में बदलने का एक अभिनव साधन' (Frontier Technology: An Innovative Tool to Want to Transform Waste to Wealth)**
- इस वर्ष 7 अक्तूबर को मैक्सिको सिटी में मेक्सिको सरकार ने विश्व पर्यावास दिवस 2019 कार्यक्रम की मेज़बानी की।

प्रमुख उद्देश्य

- शहरों एवं कस्बों की स्थिति का पता करना तथा आश्रय हेतु पर्याप्त मानव अधिकार की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- भविष्य की पीढ़ियों के आश्रय हेतु संयुक्त रूप से किए जाने वाले प्रयासों को जोड़ना।

वैश्विक पर्यावास दिवस की प्रमुख घोषणाएँ

(Major Announcements of Global Housing Day)

1. दुनियाभर में बेहतर पर्यावास की आवश्यकता पर ध्यान देना और आवश्यक सहयोग करना।
2. हर जगह किफायती और पर्याप्त पर्यावास की प्राथमिकता साझा करना।
3. राज्यों और कस्बों को प्रतिबिंबित करने और पर्याप्त आश्रय के लिये बुनियादी मानव अधिकारों पर ध्यान देना।
4. भावी पीढ़ी के आवास के लिये संयुक्त जिम्मेदारी के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना।